(11)-3

308

पत्रांक-बि०प्र०सु०मि०सो०/लेखा-07/2024, सो०-2533

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

डॉ० प्रतिमा,
अपर मिशन निदेशक,
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 18/11/2024

विषयः **बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के आई0टी0प्रबंधकों को सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए 4G/5G Support हाई स्पीड इंटरनेट सुविधायुक्त मोबाईल सेट क्रय हेतु निर्धारित अधिकतम प्रतिपूरणीय राशि के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-18.11.2024 को मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, शासी परिषद, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की 35वीं बैठक के कार्यावली बिन्दु-11 में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के आई0टी0प्रबंधकों को सरकारी कार्यो के निष्पादन के क्रम में सूचनाओं के आदान-प्रदान, योजनाओं के अनुश्रवण एवं मोबाईल ऐप के माध्यम से कार्य करने हेतु हाई स्पीड इंटरनेट सेवा की उच्च गुणवत्ता के स्टोरेज सुविधायुक्त 4G/5G Support वाले मोबाईल सेट हेतु निर्धारित अधिकतम प्रतिपूरणीय राशि ₹15000.00 (पन्द्रह हजार) की स्वीकृति दी गयी है।

उपरोक्त स्वीकृति के आलोक में प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैः-

(i) मोबाईल सेट का क्रय आई0टी0प्रबंधक द्वारा स्वयं किया जायेगा एवं विपत्र पर आई0टी0प्रबंधक का नाम अंकित रहना अनिवार्य होगा तथा मूल विपत्र का संधारण संबंधित जिला/ विभाग/ कार्यालय के स्तर पर किया जाना है।

(ii) मोबाईल सेट के क्रय राशि की प्रतिपूर्ति के लिए जिला/ विभाग/ कार्यालय के माध्यम से भेजी जाने वाली अधियाचना के साथ आई0टी0प्रबंधक का विहित प्रपत्र में स्व-घोषणा पत्र एवं विपत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति संलग्न होना अनिवार्य होगा।

(iii) वित्त विभाग के संकल्प संख्या-03/एफ-01.39/2014-2480/वि0, दिनांक-31.03.2017 एवं संकल्प संख्या-03/एफ-01-39/2014-8060/वि0, दिनांक-12.10.2017 के आलोक में मोबाईल सेट का जीवन काल 4 वर्ष निर्धारित है। मोबाईल सेट के जीवनकाल की गणना उसके क्रय की तिथि से परिगणित होगी। अतएव मोबाईल सेट के क्रय के 04 वर्ष की अवधि पूरा होने के उपरान्त ही दुसरे मोबाईल सेट का क्रय किया जा सकेगा तथा पूर्व में क्रय किए गये मोबाईल सेट की प्रतिपूरित राशि का 10 प्रतिशत राशि Depreciation Cost के रुप में कोषागार चालान द्वारा राजकोष में जमा कर उक्त मोबाईल सेट को Retain करना अनिवार्य होगा।

<u>**अनु0-स्व-घोषणा प्रपत्र।**</u>

विश्वासभाजन
18/11/24
(डॉ० प्रतिमा)
अपर मिशन निदेशक

D:\Vijay Data\vijay\Vijay EXE\AMD-Letter - Copy.docx

मोबाईल सेट क्रय की राशि की प्रतिपूर्ति से संबंधित स्व–घोषणा पत्र

1. मैं .... (नाम), आई0टी0 प्रबंधक (नियोजन का वर्ष..................)..(वर्तमान पदस्थापन) यह घोषणा करती/करता हूँ कि मैंने बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के पत्रांक–................ दिनांक–....................... के आलोक में .... (मॉडल) का मोबाईल सेट का क्रय किया है, जिसका मूल्य ₹ .... /– (.. रूपये) है।
2. क्रय किए गये मोबाईल का विपत्र मेरे नाम से है। (मूल विपत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया–प्रति संलग्न है)
3. मोबाईल क्रय की तिथि को मेरी आयु .... वर्ष .... माह है।
6. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के पत्रांक–.............. दिनांक–.................................. के आलोक में कुल ₹............../– (.. रूपये) मेरे निम्न वर्णित बैंक खाते में हस्तांतरित की जाए –

खाताधारक का नाम	
खाता संख्या	
बैंक का नाम	
शाखा	
IFSC Code	

स्थान–.................................

तिथि–.................................

हस्ताक्षर

नाम ....

पदनाम ....

नोटः– **सभी कंडिकाओं में अनिवार्य रूप से सूचना अंकित की जाए एवं जो लागू नहीं हो उसे काट दें।**